रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 1976/ज्येष्ठ 4, 1898

No. 246] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 1976/JYAISTHA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May 1976

S.O. 367(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government hereby specifies—

(a) in the case of a person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 of that Act in relation to an election to the House of the People or to the Council of States, the Secretary-General of the House of the People or the Secretary-General of the Council of States, as the case may be, and

(b) in the case of a person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 of that Act in relation to an election to the Legislative Assembly or to the Legislative Council of a State, the Secretary of the Legislative Assembly of the State or the Secretary of the Legislative Council of the State, as the case may be.

as the authority for the purposes of sub-section (1) of section 8A aforesaid.

[No. F. 7(26)/75-Leg.II]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 1976

का०आ० 367(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8क की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार—

(क) लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध मे, उस अधिनियम की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की दशा में, यथा स्थिति, लोक सभा के महासचिव या राज्य सभा के महासचिव को, और

(ख) किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध मे, उस अधिनियम की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की दशा में, यथास्थिति, राज्य की विधान सभा के सचिव या राज्य की विधान परिषद् के सचिव को,

पूर्वोक्त धारा 8क की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० फा० 7(26)/75-विधायी ii]

के० के० सुन्दरम्, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1976